न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा (सवाई माधोपुर)

मु0नं0:– 46 / 2018 तारीख रजू:–24.12.2018

पीठासीन अधिकारी :– सुशीला मीणा (आर.ए.एस.)

1. हनुमान पुत्र लोहडक्या उम्र 60 वर्ष
2. मूलचंद पुत्र लोहडक्या उम्र 55 वर्ष
3. लखपत पुत्र सीताराम उम्र 35 वर्ष
4. ठण्डी पुत्र सीताराम उम्र 28 वर्ष
5. आशाराम पुत्र सीताराम उम्र 22 वर्ष
6. राजेश पुत्र प्रभूदयाल उम्र 29 वर्ष
7. विजयसिंह पुत्र प्रभूदयाल उम्र 24 वर्ष

समस्त जातियान मीना निवासीयान भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

वादीगण

बनाम

1. फूलचन्द उम्र 70 वर्ष
2. बाबूलाल उम्र 65 वर्ष
3. हरफूल उम्र 60 वर्ष

पिसरान नानगराम समस्त जातियान मीना निवासीयान भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा

4. तहसीलदार लेण्ड होल्डर चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर।

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से एडवोकेट अब्दुल वहाब

दावा बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती तहत दफा 88 आर.टी.एक्ट

–:निर्णय:– **निर्णय दिनांक:–03.02.2021**

वादीगण द्वारा एक वादपत्र न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया है कि–

1. वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एक ही गांव भगवतगढ के रहने वाले एवं एक ही परिवार के व्यक्ति है जिनका सजरा परिवार निम्न प्रकार है:–

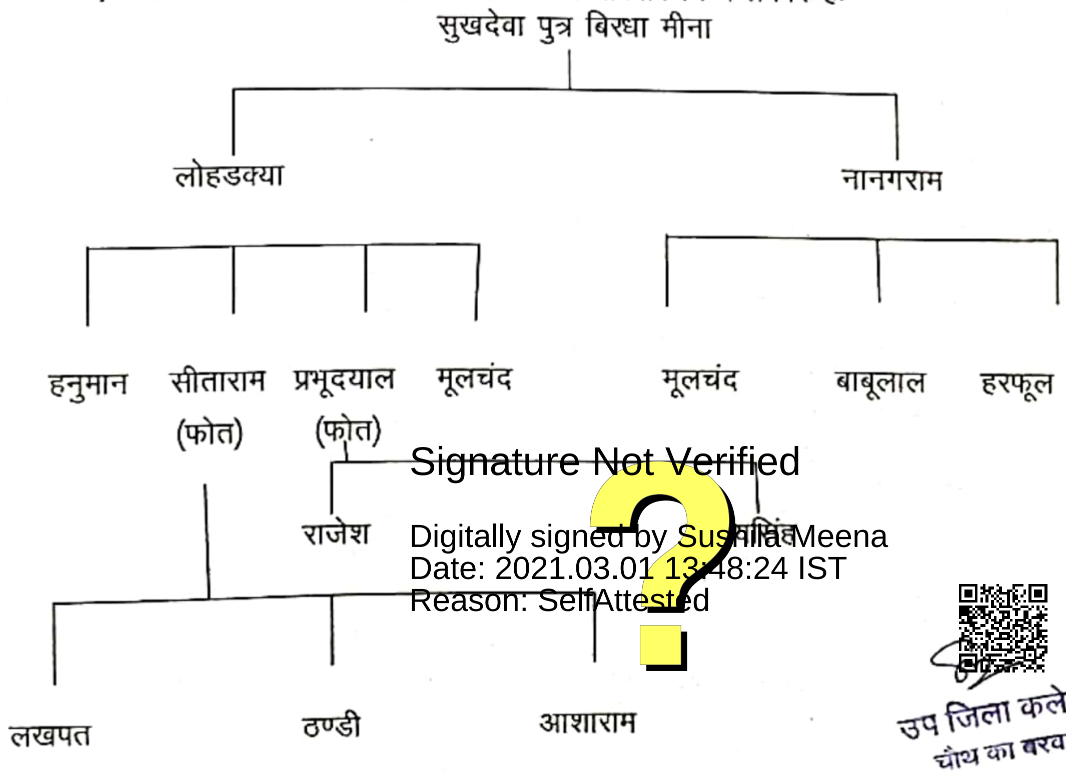

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushila Meena
Date: 2021.03.01 13:48:24 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाडा

Scanned with CamScanner

उक्त सजरा परिवार में अंकित लोहडक्या के पुत्र सीताराम व प्रभूदयाल का देहान्त हो चुका है जिनके वारिसान वादीगण 3 लगायत 7 है।

2. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण नंबर 1 लगायत 3 के पूर्वज सुखदेवा पुत्र बिरधा मीना निवासी भगवतगढ की कब्जे काश्त व खातेदारी की साबिक भूमि ख0नं0 1948 रकबा 18 बिस्वा जिसके हाज नवीन ख0नं0 3377 रकबा 0.23 है0 चाही ग्राम भगवतगढ में स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 3 ने अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमियों का मौके पर तकासमा कर रखा है और उक्त भूमि वादीगण के हिस्से में आने पर वादीगण अपनी उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

3. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के पूर्वज सुखदेवा ने अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त भूमि साबिक ख0 नं0 1948 रकबा 18 बिस्वा को गणपत लाल पुत्र परसराम महाजन निवासी भगवतगढ के यहां रहन रखी और उसकी मृत्यु पश्चात उसके पुत्र चांदनारायण पुत्र गणपतलाल जाति महाजन निवासी भगवतगढ के यहां रहन चली आ रही थी, जिसके रहन मुर्तहीन के इन्द्राजात दस साला के राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे है लेकिन वादीगण के पूर्वज सुखदेवा ने रहन राशि चुकता कर राजस्व रिकॉर्ड से रहन मुर्तहीन का इन्द्राजात समाप्त करवाया। लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण जब संवत 2037 से 2040 की जमाबंदी बनी उसमें गलती से सुखदेवा पुत्र बिरधा जाति मीना के स्थान पर सुखदेवा पुत्र बिरधा जाति महाजन अंकित कर दिया जबकि सुखदेवा पुत्र बिरधा जाति महाजन नाम का कोई व्यक्ति ग्राम भगवतगढ में ही नही है। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों की गलती से जाति मीना के स्थान पर महाजन दर्ज कर दी गई है जो दुरूस्त होने योग्य है।

4. यह कि वादीगण ग्रामीण परिवेश के रहने वाले व्यक्ति है जिनकों राजस्व कर्मचारियों के द्वारा की गई इस गलती की कोई जानकारी नहीं थी लेकिन अभी हाल में वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त भूमि नवीन खसरा नंबर 3377 में सडक निकलने की अखबार में सूचना प्रकाशित हुई तब वादीगण की उक्त भूमि सडक में आ जाने पर वादीगण ने दिनांक 11.09.2018 को जमाबंदी की नकल निकलवाई तब पता चला कि वादीगण के पूर्वज सुखदेवा पुत्र बिरधा जाति मीना के स्थान पर जाति महाजन दर्ज है इस पर वादीगण ने पटवारी हल्का से जानकारी की तब पटवारी हल्का ने बताया कि रिकॉर्ड में जाति को दुरूस्त करवाओ इस पर वादीगण ने साबिक रिकॉर्ड की नकलें निकलवाई, तब पूरी जानकारी होने से राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई इस गलती की जानकारी हुई। इसलिये वादीगण के लिये यह आवश्यक हो गया कि वह अपने नाम खातेदारी की घोषणा करवाये तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई जाति की गलती को दुरूस्त करवाये।

5. यह है कि वादीगण प्रार्थी हैं कि दावा वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे की

5.1 घोषणा इस प्रकार अमल फरमाई जावे की साबिक आराजी खसरा नंबर 1948 रकबा 18 बिस्वा जिसके हाल नवीन खसरा नंबर 3377 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम भगवतगढ़ तहसील चौथ का बरवाड़ा के वादीगण खातेदार काश्तकार हैं, तथा राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम का अंकन करवाने के अधिकारी हैं।

5.2 विवादित आराजी साबिक आराजी खसरा नंबर 1948 रकबा 18 बिस्वा के बने नवीन खसरा नं[illegible] 0.23 [illegible] भगवतगढ़ से सुखदेवा पुत्र बिरधा जाति महाजन के स्थान [illegible] मीना अंकित फरमाई जाकर राजस्व रिकॉर्ड को [illegible] के स्थान पर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉ[illegible] फरमाया जावे।

6. वादीगण का वादपत्र दर्ज [illegible] प्रतिवादीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 [illegible]जूद तामील अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

7. प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार वादपत्र में बिन्दुवार मौके एवं रिकॉर्ड की स्थिति निम्न प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushila Meena
Date: 2021.03.01 13:48:24 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा

Scanned with CamScanner

7.1 वादपत्र के बिन्दु संख्या 1 में पारिवारिक सजरा अंकित किया है। जिसमें सुखदेवा पुत्र बिरधा मीना निवासी भगवतगढ के वारिसान में जीवित पुत्रियां एवं बेवा का नाम अंकित नहीं है। मुताबिक रिकॉर्ड के नानगा के क्रमशः 3 पुत्रियां है। तथा मृतक सीताराम के एक पुत्री व एक बेवा मौजूद है व मृतक प्रभू के पुत्रीयां अंकित नहीं हैं। खातेदार भगतवगढ़ के निवासी हैं।

7.2 वादपत्र में अंकित बिन्दु संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पूर्वज सुखदेवा पुत्र बिरधा के वारिसान मौके पर सकाश्त करना पाया गया, जिसके खसरा नंबर 1948 रकबा 18 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 3377 रकबा 0.23 है0 चाही ग्राम भगवतगढ़ बी में खातेदारी सुखदेवा पुत्र बिरधा कौम महाजन सा0देह जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता संख्या 635 पर अंकित है। वादपत्र के बिन्दु संख्या 3 वादी/प्रतिवादी द्वारा संलग्न मिसल हकीयत बंदोबस्ती मौजा भगवतगढ़ के खाता संख्या 76 पर बिरधा बल्द बक्स कौम मीना रहन गणपतलाल बल्द परसराम कौम महाजन सा0 देह मूर्तहीन कॉलम नंबर 3 में अंकित है, जिसका संवत् 2004 लगायत 2009 में नवीन खसरा नंबर 1948 रकबा 18 बिस्वा तहरीर हुआ है, जिसका अंकन जमाबंदी संवत् 2017 लगायत 2020 के खाता संख्या 722 में सुखदेवा पुत्र बिरधा राहिन चांदनारायण पुत्र गणपतलाल जाति महाजन मूर्तहीन दर्ज रिकॉर्ड है। जिसके बाद जमाबंदी संवत् 2037–2040 में खाता संख्या 857 में उक्त खाता रहन से बागूजास्त होने पर सुखदेवा पुत्र बिरधा की कौम महाजन यथावत वर्तमान जमाबंदी में नवीन खसरा नंबर संलग्न मिलान क्षेत्रफल खसरा नंबर 1948 रकबा 18 बिस्वा का खसरा नंबर 3377/0.23 बनाया गया, जो खातेदार की भूमि सुखदेवा पुत्र बिरधा कौम महाजन सा0 देह का अंकन दर्ज चला आ रहा है, जो दुरूस्ती योग्य है।

इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके के अनुसार सुखदेवा पुत्र बिरधा कौम मीना के वैद्य वारिसान की कब्जे काश्त की भूमि होना पाया गया।

8. प्रकरण में हनुमान पुत्र लोहड्क्या जाति मीना ने एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो कि पीडब्ल्यू 1 अंकित किया गया। इसी प्रकार बच्छराज पुत्र फेलीराम ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जो कि पीडब्ल्यू 2 अंकित किया गया। वादीगण प्रकरण में अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहतें है।

9. बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। वादीगण के अधिवक्ता ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पत्रावली में प्रदर्शांकित प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत 2073–76, प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत 2017–20, प्रदर्श 3 जमाबंदी संवत 1988 मिसल बंदोबस्त, प्रदर्श–4 मिलान क्षेत्रफल एवं प्रदर्श 5 प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भगवतगढ दिनांक 27.11.2018 प्रस्तुत करवाये गये। जिनका अवलोकन किया गया।

10. हमने जमाबंदी संवत 2017–20 का अवलोकन किया जिसमें सुखदेवा पुत्र बिरधा राहिन चांदनारायण पुत्र गणपतलाल जाति महाजन मुर्तहीन कोलम नंबर 5 में दर्ज है। इसके पूर्व मिसल हकीयत बंदोबस्ती प्रदर्श 3 में यह भूमि सुखदेवा के पिता बिरधा वल्द बक्स कोम मीणा के नाम खातेदारी में दर्ज है। साथ ही इसमें मुर्तहीन के रूप में गणपतलाल पुत्र परसराम कोम महाजन को दर्शित किया है। इस प्रकार खसरा नंबर 1992 मुताबिक मिसल हकीयत बंदोबस्ती का नवीन नंबर सेटलमेंट के बाद खसरा नंबर 1948 बना है जो प्रदर्श 4 से प्रमाणित [illegible] का नवीन नंबर खसरा नंबर 3377 रकबा 0.23 है0 बना है। जमाबंदी संवत् 2073–76 में काश्तकार के कॉलम में सुखदेवा पुत्र बिरधा कोम महाजन लिखा हुआ है। तात्पर्य यह निकलता है कि भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के प्रभाव में आने के बाद रहन से बागुजास्त हो गई थी। किन्तु लिपिकीय त्रुटी के कारण जाति के कॉलम में मीणा के स्थान पर महाजन हो गया। इसलिये इसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जैसा कि तहसीलदार चौथ का बरवाडा की रिपोर्ट में भी यह खुलासा किया गया है कि वादान्तर्गत भूमि खसरा नंबर 3377 रकबा 0.23 है0 पर वादीगण का कब्जा काश्त है।

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushila Meena
Date: 2021.03.01 13:48:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

—:आदेश:—

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी साबिक आराजी खसरा नंबर 1948 रकबा 18 बिस्वा के बने नवीन खसरा नंबर 3377 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम भगवतगढ़ से सुखदेवा पुत्र बिरधा जाति महाजन के स्थान पर जाति मीना अंकित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जावे तथा सुखदेवा के स्थान पर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड एवं रिकॉर्ड ऑफ राईट्स मे अंकन किया जावे।

तद्अनुसार पर्चा डिकी जारी की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुशीला मीणा)
उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushila Meena
Date: 2021.03.01 13:48:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय <u>उप जिला कलेक्टर</u> स्थान <u>चौथ का बरवाड़ा</u>

1. हनुमान पुत्र लोहडक्या
2. मूलचंद पुत्र लोहडक्या
3. लखपत पुत्र सीताराम
4. ठण्डी पुत्र सीताराम
5. आशाराम पुत्र सीताराम
6. राजेश पुत्र प्रभूदयाल
7. विजयसिंह पुत्र प्रभूदयाल

समस्त जातियान मीना निवासीयान ग्राम भगवतगढ़ तहसील चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर

बनाम

1. फूलचंद पुत्र नानगराम
2. बाबूलाल पुत्र नानगराम
3. हरफूल पुत्र नानगराम

समस्त जातियान मीना निवासीयान ग्राम भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर

4. सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा

न्यायालय उप जिला कलेक्टर (रा.) चौथ का बरवाड़ा

<u>नम्बर मुकदमा 46 सन् 2018</u>

<u>दावा बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती दफा 88 आर0टी0 एक्ट</u>

वादी की ओर से **श्री अब्दुल वहाब एड.** की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 03.02.2021 को **श्रीमति सुशीला मीणा (आर.ए.एस)** के समक्ष अन्तिम निपटारें के लिए पेश होने पर आदेश किया गया जाता है और डिक्री दी जाती है कि विवादित आराजी साबिक आराजी खसरा नंबर 1948 रकबा 18 बिस्वा के बने नवीन खसरा नंबर 3377 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम भगवतगढ़ से सुखदेवा पुत्र बिरधा जाति महाजन के स्थान पर जाति मीना अंकित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जावे तथा सुखदेवा के स्थान पर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड एवं रिकॉर्ड ऑफ राईट्स मे अंकन किया जावे।

इस बाद के खर्चे लेखें x रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर x प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित x द्वारा X को दी जाए। यह आज तारीख 03.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्च

	वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसें
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3	प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	00	
7	आदेशिका की तामील	02	00			
	जोड	04	00	जोड	00	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushila Meena
Date: 2021.03.01 13:48:24 IST
Reason: SelfAttested

(सुशीला मीणा)
उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा

Scanned with CamScanner